न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 01 / 2014 / बाड़मेर

अपीलांट रेस्पोडेंटगण

1. हेमदान पुत्र बागदान वगै. बनाम 1.जीवणदान पुत्र शक्तिदान वगै.

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी एवं धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना–पत्र वास्ते निर्णय

उपस्थित

1. वकील श्री सुनिल के मेराजा प्रार्थी आवेदक की ओर से
2. वकील श्री मुकेश जैन रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांकः–27.06.2022

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए उसने उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद में अभिवर्णित प्रतिवादी संख्या 01 आवड़दान का नाम सिविल फौतगी मानकर राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जा चुका है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 आवड़दान को पक्षकारान नहीं बनाया गया है साथ ही अपीलांट संख्या 02 से 05 का नाम प्रशासन गांवों के संग अभियान में बतौर खातेदार जोड़ा गया है। जिससे वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार होने से बतौर अपीलांट पक्षकार बनाया गया है। जिससे वर्तमान में अपीलाधीन निर्णय से प्रार्थीगणका हित पूर्ण रूप से प्रभावित होता है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में आलोच्य निर्णय व डिक्री पर्चा दिनांक 16.03.2012 को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण को राजस्व अपील प्रस्तुत करवाने हेतु तृतीय पक्ष होते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति न्यायहित में जारी की जानी आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सनुवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटस / प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने का हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार होने का अधिकारी है इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलांट संख्या 01

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हेमदान ने राजीनामा कर दिया। अपीलांट संख्या 02 से 05 को दावे में पक्षकार क्यों नहीं बनया गया। अपीलांटगण का हस्तगत प्रकरण से किसी प्रकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है। अपीलांटगण द्वारा अपील पेश कर रेस्पोडेंट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपील पेश की जा रही है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट संख्या 01 की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय जरिये राजीनामा के तहत किया गया। अपीलांट संख्या 01 के ही शेष अपीलांटगण पुत्र है। इसलिए अपीलांट संख्या 01 द्वारा किये गये राजीनामा से यह भी बंधे हुए है। राजीनामा के तहत की गई डिक्री के विरूद्ध बाद में खातेदार दर्ज हुए अपीलांट संख्या 02 से 05 को तकनीकी आधार पर अपील पेश करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांटगण कानूनी रूप किसी भी प्रकार से पीड़ित या प्रभावित पक्षकार नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपीलांटस अपील के हितबद्ध, प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार नहीं ठहरते है। अतः अपीलांट का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

लिहाजा उसको अपील प्रस्तुति की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी खारिज किया जाता है।

चूंकि उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 05 के प्रार्थना–पत्र पर भी बहस सुनी गई इसलिए धारा 05 के प्रार्थना–पत्र पर भी निर्णय करना उचित होगा। अपीलांट अधिवक्ता ने धारा 05 के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपील प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2012 की जानकारी होते ही नकल प्राप्त कर समय तत्परता एवं सद्भावना से एक माह की अवधि के भीतर पेश की है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आलोच्य आदेश की जानकारी पूर्व में प्रार्थीगण को नहीं थी एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता को भी आलोच्य आदेश की जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई उस समय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु नियत थी एवं अधिवक्ता वादी द्वारा वाद प्रस्तुति दिनांक 02.12.2009 के पश्चात प्रथम बार 15.03.2012 को बयान देने हेतु बुलाया गया था एव दिनांक 16.03.2012 को बयान करवाने का कहकर अपीलांट हेमदान को धोखे में रखकर गलत रूप से राजीनामा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करवाये। अपीलांट अशिक्षित, ग्रामीण क्षेत्र का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गरीब व्यक्ति है जो अपने अधिवक्ता पर पूर्ण विश्वास कर वैध था, किन्तु अधिवक्ता वादी द्वारा अपीलांट हेमदान के साथ धोखा कर बयानों के स्थान पर राजीनामा पेश करवा दिया एवं अधीनस्थ अधिकारी जो कि अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 01 व 02 के जाति भाई होने के साथ उतरदाता संख्या 01 व 02 के पूर्ण परिचित एवं हितवद्ध होने से अपूर्ण रूप से पेश राजीनामा को ही वादी के ज्ञान में लाये विना ही तस्दीक कर राजीनामे के आधार पर ही वाद के अनुतोष व तनकीयात रो परे जाकर आलोच्य डिक्री पर्चा जारी किया गया। जिसकी तत्समय अपीलांट हेमदान को जानकारी नहीं थी। अरसा 15 दिन पूर्व अपीलांट के पुत्र लूणदान को अपनी भूमि बाबत के सी सी बनवाने बाबत पटवारी से सम्पर्क कर राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी ली एवं तब पटवारी के जरिये अपीलांट लूणदान को ज्ञात हुआ कि मुकदमे का फैसला हो गया है जिस पर आलोच्य निर्णय व डिक्री पर्चा की नकल लेकर वाड़मेर में दूसरे अधिवक्ताओं से सम्पर्क कर कानूनी राय अनुसार नकल एवं दस्तावेज लेकर बाद जानकारी तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर पारित की गई जो अपीलांट स्वयं की उपस्थिति में पेश हुआ उसके बाद भी अपील तकरीबन दो साल के विलंब के वाद पेश की गई। उभयपक्ष द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश राजीनामा पीठासीन अधिकारी द्वारा तस्दीक किया है। अब अपीलांट पीठासीन अधिकारी पर भी आरोप लगा रहे है। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांटगण द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2013(2) Page 887
RRT 2014(2) Page 1331
RLW 2012(3) Page 2142
DNJ 2011(2)(Raj.) Page 903
CCC 2016(1) Page 165
RRT 2007(2) Page 939
RRT 2011(2) Page 851

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष के हस्ताक्षरयुक्त राजीनामा दिनांक 16.03.2012 को पेश किया गया। जो उसी रोज दिनांक 16.03.2012 को उभयपक्ष की उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा तस्दीक किया जाकर उभयपक्ष को पढ़कर सुनाया गया जो सही होना स्वीकार कर अपने अपने हस्ताक्षर किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में राजीनामा के आधार पर पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजीनामा के आधार पर अपीलांट की उपस्थिति में पारित करने के बावजूद भी हस्तगत अपील अपीलांट द्वारा मियाद बाहर पेश की गई तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान नहीं होने के कथन निराधार है। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील अकारण विलम्ब से पेश की गई है हस्तगत अपील को सुदीर्घ अवधि तकरीबन 01 वर्ष 09 माह बाद पेश किया गया है जिसका कोई विधि सम्मत कारण नहीं बताया गया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते है।

RRT 2016-17(Supp.) Page 158 (अपील पेश करने में 30 दिन का विलम्ब सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नहीं किया।)

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील मियाद बाहर ठहरती है।

लिहाजा अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। अपीलांट की अपील को अपील अनुमति एवं मियाद बाहर होने से इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है।

(प्रतिभा पीलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 27.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर